'माँ सरस्वती एण्ड विरेन्द्र सोशल एंड एजुकेशनल फाउन्डेशन'

का

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : 'माँ सरस्वती एन्ड वीरेन्द्र सोशल एंड एजुकेशनल फाउन्डेशन'

2. प्रधान कार्यालय : इस संस्था का प्रधान कार्यालय-हॉस्पीटल चौक, सरस्वती डेंटल क्लिनिक, गली नं0-1, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण (बिहार) में रहेगा।

   आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अंदर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जाएगी।

3. कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

4. **उद्देश्य :**

   1. समाज के गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यकों, कमरोज वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
   2. शिक्षित बेरोजगार, युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकरण कला, आशुलिपिक, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी विकास का प्रशिक्षण देना।
   3. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपर्युक्त साधन, जलछाजन, जल संचयन, नलकूप तालबा, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना एवं जनसमुदाय को जागरूक करना।
   4. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0, कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
   5. समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थानों का संचालन करना। गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना।
   6. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना।

संजीव कुमार मिलान किया

Civil Assistant Surgeon
Sadar Hospital, Motihari

7. समाज के गरीब एवं नि:सहाय लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पाल, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

8. संस्था द्वारा वृद्धों, अनाथ बच्चों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित परित्यक्ता, असहायक लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षाा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजना एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

9. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

10. ऊर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

11. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का सँचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

12. पंचायतीराज, व्यस्क मताधिकार, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूकत करना।

13. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

14. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु कार्य करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

15. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे-बाल विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, सम्प्रदाय बाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।

16. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जनसमुदाय को हर संभव सहयोग करना।

17. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

18. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्‌भावना, धम्र निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना, जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

Civil Assistant Surgeon

'माँ सरस्वती एण्ड वीरेन्द्र सोशल एण्ड एजुकेशनल फाउन्डेशन'

का

नियमावली

1. **संस्था का नाम** : 'माँ सरस्वती एण्ड वीरेन्द्र सोशल एण्ड एजुकेशनल फाउन्डेशन'

2. **परिभाषा :**

क) संस्था का अभिप्राय है:	'माँ सरस्वती एण्ड वीरेन्द्र सोशल एण्ड एजुकेशनल फाउन्डेशन'
ख) समिति से अभिप्राय है:	संस्था की कार्यकारिणी समिति।
ग) पदाधिकारी का अभिप्राय है:	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष
घ) वर्ष से अभिप्राय है :	01ली अप्रैलसे 31 मार्च तक

3. **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हों वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/-रूपये प्रवेश शुल्क एवं 101/-रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।

4. **सदस्यता से विमुक्ति**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी-

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।

ख) पागल या मृत्यु होने पर।

ग) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।

घ) लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

ङ) बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनपुस्थित रहने पर।

च) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :**

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे।

ख) कार्यकारिणी समिति के पदधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा के द्वारा किया जाएगा।

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।

Civil Assistant Surgeon
Sadar Hospital, Motihari

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, योग्यता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है-

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	फोटो
1	श्रीमती सरिता पति-राजीव कुमार	ग्राम-रढ़िया राय टोला पो0-अरेराज, थाना-गोविन्दगंज, पू0च0	समाजसेवा	अध्यक्ष	
2	श्री संजीव कुमार पिता-वीरेन्द्र राय	श्री कृष्ण नगर, मोतिहारी पो0-मोतिहारी थाना-मोतिहारी, पू0च0	बी.डी.एस. चिकित्सक	सचिव	
3	श्री अमित कुमार पिता-श्री नवल किशोर	ग्राम-वानुछापर पो0-वानुछापर थाना-बेतिया, प0च0	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्री आलोक कुमार पिता-श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	ग्राम-रूपहारा पो0-रूपहारा थाना-शिकारगंज, पू0च0	समाजसेवा	सदस्य	

मिलान किया

Civil Assistant Surgeon
Sadar Hospital, Moti

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	फोटो
5	मो0 इसराइल हक पिता–मो0 सदरूल हक	शहर–खोदा नगर, मोतिहारी पो0–मोतिहारी थाना–छतौनी, पू0च0	समाजसेवा	सदस्य	
6	श्री ठाकुर रितेश चन्द्रा पिता–रामचन्द्र ठाकुर	श्री कृष्ण नगर, वार्ड–24 पो0–मोतिहारी थाना–मोतिहारी, पू0च0	समाजसेवा	सदस्य	
7	श्री विन्दा साह पिता–श्री कन्हैया साह	ग्राम–रढिया पो0–रढिया थाना–गोविन्दगंज, पू0च0	समाजसेवा	सदस्य	

Civil Assistant Surgeon
Sadar Hospital, Motihari

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, योग्यता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। वर्तमान स्मृति-पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है:-

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमती सरिता पति-राजीव कुमार	ग्राम-रढ़िया राय टोला पो0-अरेराज, थाना-गोविन्दगंज, पू0च0	समाजसेवा	सरिता	सरिता
2	श्री संजीव कुमार पिता-वीरेन्द्र राय	श्री कृष्ण नगर, मोतिहारी पो0-मोतिहारी थाना-मोतिहारी, पू0च0	बी.डी.एस. चिकित्सक	संजीव कुमार	संजीव कुमार
3	श्री अमित कुमार पिता-श्री नवल किशोर	ग्राम-वानुछापर पो0-वानुछापर थाना-बेतिया, प0च0	समाजसेवा	अमित कुमार	अमित कुमार
4	श्री आलोक कुमार पिता-श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	ग्राम-रूपहारा पो0-रूपहारा थाना-शिकारगंज, पू0च0	समाजसेवा	आलोक कुमार	आलोक कुमार

मिलान किया

Civil Assistant Surgeon
Sadar Hospital Motihari

संजीव कुमार

क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	छद्म हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
5	मो0 इसराइल हक पिता–मो0 सदरूल हक	शहर–खोदा नगर, मोतिहारी पो0–मोतिहारी थाना–छतौनी, पू0च0	समाजसेवा	मो० इसराइल हक	
6	श्री ठाकुर रितेश चन्द्रा पिता–रामचन्द्र ठाकुर	श्री कृष्ण नगर, वार्ड–24 पो0–मोतिहारी थाना–मोतिहारी, पू0च0	समाजसेवा		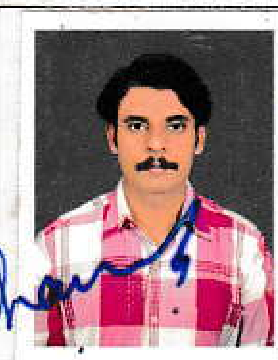
7	श्री विन्दा साह पिता–श्री कन्हैया साह	ग्राम–रढिया पो0–रढिया थाना–गोविन्दगंज, पू0च0	समाजसेवा	विन्दा साह	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक–01 से लेकर 07 तक के सभी व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें मैं जानता एवं पहचानता हूँ।

मिलान किया

हस्ताक्षर :

नाम :

मुहर मां सरस्वती एण्ड बीरेन्द्र सोशल एजुकेशनल फाउन्डेशन मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण-845401

23/11

Civil Assistant Surgeon
Sadar Hospital, Motihari
(Dr. Shailendra Singh)

संजीव कुमार

घ) अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा। चुने गए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे।

6. **पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार:**

अध्यक्ष :-

क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

सचिव :-

क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना।

ख) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

ग) पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना।

घ) आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना।

ङ) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना।

च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

छ) कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना।

ज) आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/-रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना।

झ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

कोषाध्यक्ष

क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना।

ख) संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चंदा आदि प्रापत क रसीद देना।

ग) संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य:**

क) संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा।

ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।

ग) शाखा एवं उपशाखा का गठन करना।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

8. **आमसभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

Civil Assistant Surgeon

ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।

ग) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

घ) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

9. **बैठक**

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।

ख) आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगीं

ग) कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

10. **बैठक की सूचना :**

क) आमसभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी।

ख) आमसभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी।

ग) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व की जाएगी।

घ) कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी।

ङ) बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी।

11. **प्रार्थित बैठक :**

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अंदर बैठक बुलाना होगा। यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

12. **कोरम (गणपूर्त्ति):**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

13. **आय-व्यय का साधन :**

क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क

ख) सरकारी, गैर-सरकारी दान, अनुदान एवं सहायता।

14. **निधि का अंकेक्षण :**

क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा।

ख) निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउंटें से करा सकते हैं। जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

15. **कोष का संचालन :**

संस्था के कोष को किसी भी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी, जिसमें सचिव का हस्ताक्षर हर हाल में अनिवार्य होगा।

मिलान किया

Civil Assistant Surgeon

16. **पंजी का निरीक्षण:**

संस्था के सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं

17. **नियमावली में संशोधन :**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

18 **कानुनी कार्रवाई**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानुनी कार्रवाई सचिव पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी।

19. **विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पति का व्यवस्था:**

क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

ख) आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा।

ग) विघटन के उपरांत जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जाएगी बल्कि आमसभा की सहमति से सामन उद्देश्य वाली संस्था का सरकार को दे दी जायगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष
सरिता
Sarita

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार
Amit Kumar

सचिव
संजीव कुमार
Sanjeev Kumar

माँ सरस्वती एण्ड बीरेन्द्र सोशल एजुकेशनल फाउन्डेशन मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण-84540

23/1
Civil A... Surgeon
Sadar Hospital, Motihari

मिलाप मिश्रा

पत्र संख्या-बी० एस०[3]-10.95....... / 2012 -151

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

माँ सरस्वती एण्ड वीरेन्द्र
सोशल एण्ड एजुकेशनल फाउण्डेशन ।

पटना, दिनांक- 14/2/12

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल / निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/-(पचास रूपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

श्री संजीव कुमार,
सचिव,
माँ सरस्वती एण्ड विरेन्द्र सोशल एण्ड एजुकेशनल फाउण्डेशन, हास्पीटल चौक, सरस्वती डेंटल क्लिनिक, गली नं० 1
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या....X.... दिनांक 06.01.12 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

№ 019711·

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 3047 वर्ष 2011-12

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि माँ सरस्वती एण्ड वीरेन्द्र सोशल एण्ड एजुकेशनल फाउण्डेशन, हास्पीटल चौक, सरस्वती डेंटल क्लिनिक, गली नं० -1, मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निवन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख दस मास फरवरी वर्ष दो हजार बारह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

"संस्था निबंधन अधिनियम, 21, 1860 के अधीन निबंधन मात्र संस्था का निबंधन करता है। इसे संस्था के [illegible] होने या न होने का प्रमाण नहीं समझा जाना चाहिए। संस्था को [illegible] सहायता के प्रयोजन हेतु भी इस प्रमाण-पत्र को अनुशंसा नहीं समझा जाए।"

वास्ते महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० ग० मु० (निबन्धन); 1 —II—10,000—2[illegible]